संख्या-11/1-ई.एम./2011-का-4-2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 2014

विषय:-सरकारी सेवकों के संगठनों के वार्षिक अधिवेशनों पर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाना।

महोदय,

सरकारी सेवकों के प्रदेश स्तरीय संघों, परिसंघों एवं महासंघों के द्विवार्षिक अधिवेशनों, जिनमें नवीन कार्यकारिणी का चुनाव किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता प्राप्त एवं गैर विवादित संघों/परिसंघों/ महासंघों के द्विवार्षिक अधिवेशनों में प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधियों को अधिकतम 02 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करने पर विचार किया जाय:-

(1) उक्त 02 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदेश स्तरीय संघों/परिसंघो/महासंघों के द्विवार्षिक अधिवेशनों में ही प्रदान किया जायेगा।

(2) उक्त विशेष आकस्मिक अवकाश, उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 (अद्यावधिक संशोधन सहित) के प्राविधानों के अधीन गठित/मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों/महासंघों को ही प्रदान किया जायेगा।

(3) जिन संघों/परिसंघों/महासंघों में एक से अधिक गुट हैं अथवा जिनकी कार्यकारिणी का गठन मान्यता नियमावली, 1979 के प्राविधानों के अनुसार नहीं किया गया है, के अधिवेशनों में विशेष अकास्मिक अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।

(4) जिन संघों/परिसंघों/महासंघों के द्वारा 02 वर्ष के अन्दर चुनाव नहीं कराये गये हैं, के अधिवेशनों पर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।

(5) द्विवार्षिक अधिवेशनों, जिनमें नवीन कार्यकारिणी का चुनाव किया जाना प्रस्तावित है, को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के अधिवेशन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान नहीं किया जायेगा।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या-1-ई.एम./2011(1)-का-4-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in